न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–115 / 2026
उत्पन्न परिवाद वाद संख्या :–496 / 2024

1. रविशंकर कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता–बलराम प्रसाद यादव साकिन–चिकनौटवा, वार्ड नं0–10, थाना–घैलाढ़, जिला–मधेपुरा।
–आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

अग्रिम जमानत आदेश

22–05–2026

अभियुक्त रविशंकर कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन जो परिवाद वाद संख्या– 496 / 2024 है, अन्तर्गत धारा–115(2), 85, 127(2), 352 बी0एन0एस0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित है, तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है जिन्हे इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व लगाए गए अभियोग सामान्य है, अस्पष्ट, अनिश्चित काल्पनिक एवं निराधार है। आगे कहते है कि आवेदक के वैवाहिक विवाद को आपराधिक मामले का रंग दिया गया है। आवेदक तथा सह अभियुक्त द्वारा दो कठ्ठा जमीन मांगने का आरोप बिल्कुल झूठा है। वादिनी को अपने नैहियर वालों एवं माता पिता द्वारा गलत बहकाया जाता है जिससे प्रभावित होकर अपना ससुराल स्वंय छोड़कर चली गई, परंतु आवेदक के माता–पिता द्वारा समझा बुझाकर वापस ससुराल लाया गया, अपितु वादिनी पुनः दिनांक 27.10.24 को अपनी मर्जी से अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्व अजमानतीय वारंट निर्गत किया गया है जिससे उनके गिरफ्तारी की संभावना है इसलिए आवेदक वचन देते हैं कि वह उन सभी शर्तो का अक्षरशः पालन करेगा जो न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जायेगा। आवेदक द्वारा गवाहों को डराने धमकाने अथवा साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है तथा अच्छे से अच्छा जामनतदार देने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाए।

Satish Kumar
22-05-26

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 23.06.22 को वादिनी पूजा कुमारी का विवाह आवेदक रविशंकर कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में वादिनी के माता पिता द्वारा इक्कीस लाख रूपया उपहार तथा फर्नीचर, गहना, जेवर, बर्तन, कपडा आदि सामान भी दिया गया था। शादी के कुछ दिनो तक दोनो पति–पत्नी का जीवन ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के साथ ठीक रहा।

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या :–115/2026
उत्पन्न परिवाद वाद संख्या :–496/2024
–2–

लगातार
22–05–26

– वादिनी के ससुराल वालों द्वारा नाजायज उद्देश्य के पूर्ति हेतु तरह तरह से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे तथा ससुराल पक्ष कहते थे कि अपने बाप से दो कठ्ठा जमीन मधेपुरा बाजार में खरीदकर देगा नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा एवं अंततः ससुराल से जबरन निकाल दिया। उक्त आलोक में कई बार पंचायती भी हुई जिसके फलस्वरूप वादिनी अपने ससुराल वालों द्वारा ले जाया गया तथा कुछ दिन ठीक से रखा, पुनः नाजायज मांग को दोहराना शुरू कर प्रताड़ित करने लगे। दिनांक 27.10.24 की रात्रि 3 बजे परिवादिनी को जान मारने का प्रयास किया परंतु वादिनी के माइके पक्ष वो अन्य लोगो की मदद से सुरक्षित वापस माइके ले आऐ। परिवादिनी के ददिया ससुर, मंजु देवी, सास जीवछी देवी, ददिया सास ये लोग आपराधिक चरित्र के है जो दहेज के रूप में नाजायज राशि को प्राप्त करने के लिए जुल्म किया करते है।

उभय पक्षों को सुना। परिवाद पत्र एवं निम्न न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विरूद्ध परिवादिनी जो कि आवेदक की पत्नी है, के साथ दहेज की मॉग को लेकर प्रताड़ित करने, मारपीट करने व जान मारने का प्रयास करने का अभियोग है। न्यायालय ने आवेदक के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये धारा– 115(2), 85, 127(2), 352 बी0एन0एस0 एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान लिया है। जॉच साक्ष्य के दौरान साक्षियों ने घ टना का समर्थन किया है तथा परिवादिनी ने भी अपने एस0 ए0 मे घटना का समर्थन किया है। आवेदक, परिवादिनी का पति है तथा प्रथमदृष्ट्या घटना मे इसकी संलिप्तता प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
Satish Kumar
22.05.26
(सतीश कुमार)
अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।